



महिला विरुद्ध अपराध एवं लिंगानुपात : जिला रेवाड़ी से संदर्भ

रविन्द्र, शोधार्थी, पत्रकारिता एवं जनसंचार, सिंघानिया विश्वविद्यालय, राजस्थान

सारांश—

बिगड़ते लिंगानुपात एवं महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए बदनाम रहे अहीरवाल की राजधानी कहे जाने वाले रेवाड़ी जिले के लिए वर्ष 2016 इन दोनों ही मामलों के लिहाज से कारगर साबित हुआ है। इस साल जिले में जहां लिंगानुपात में खासा सुधार देखने को मिला, वहीं महिला विरुद्ध अपराधों में भी उल्लेखनीय कमी आई। अधिकारिक जानकारी के मुताबिक साल 2016 में रेवाड़ी का लिंगानुपात 850 को पार कर गया, वहीं घरेलु हिंसा के मामलों में 28 प्रतिशत तथा बलात्कार के मामलों में 18 फीसदी की कमी दर्ज की गई, जो रेवाड़ी के बाशिंदों के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं थी क्योंकि जहां एक ओर वे, लिंग असमानता की वजह से बदनामी का दंश झेल रहे थे, वहीं दूसरी ओर बलात्कार, घरेलु हिंसा तथा छेड़छाड़ की बढ़ती वारदातों ने महिलाओं में असुरक्षा की भावना भी उत्पन्न कर दी थी। जिसकी वजह से वे घर से अकेले बाहर निकलने में भी संकोच करने लगी थीं।

ISSN 2454-308X



शोधकार्य का उद्देश्य—

शोधकार्य का मुख्य उद्देश्य उन कारणों का पता लगाना है, जिसकी वजह से वर्ष 2016 के दौरान न केवल रेवाड़ी जिले के लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार आया है, बल्कि महिला विरुद्ध अपराधों के साथ-साथ संगीन मामलों में भी अच्छी-खासी गिरावट दर्ज की गई। शोधकार्य का अन्य मकसद वर्ष 2015 व 2016 में दर्ज हुए अपराधिक मामलों के तुलनात्मक अध्ययन के साथ-साथ इन दोनों ही सालों में लिंगानुपात की स्थिति का तथ्यात्मक विश्लेषण करना है।

शोध किया विधि —

शोधकार्य को सुचारु रूप से सम्पन्न करने के लिए स्वास्थ्य तथा पुलिस विभाग के अलावा समाचार-पत्रों, किताबों, इंटरनेट आदि स्रोतों से जानकारी हासिल की गई है। लिंगानुपात में सुधार तथा महिलाओं के खिलाफ अपराधों में आई कमी के पीछे कारणों की तह जाने के लिए रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया तथा रेवाड़ी सिविल सर्जन डा बीके राजौर से इन दोनों ही मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई ताकि शोधकार्य से सही निष्कर्ष निकल कर सामने आ सकें।

अपराधिक मामलों में आई कमी—

रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक के कार्यालय द्वारा 2 जनवरी 2017 को अधिकारिक तौर पर पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय को भेजी गई तुलनात्मक रिपोर्ट के मुताबिक रेवाड़ी जिले में वर्ष 2016 में पिछले साल यानी 2015 के मुकाबले घरेलु हिंसा के 32, बलात्कार तथा यौन उत्पीड़न के 11-11 मामले कम दर्ज किये गये। साल 2015 में घरेलु हिंसा के जहां 114 मामले सामने आये थे, वहीं 2016 में इनकी संख्या 82 थी। इसी तरह, वर्ष 2015 में बलात्कार के 63 तथा यौन उत्पीड़न के 69 मामले सामने आये थे, वहीं साल 2016 में इनकी संख्या घटकर क्रमशः 52 व 58 हो गई।

रिपोर्ट के मुताबिक महिला विरुद्ध अपराधों के अलावा रेवाड़ी में इसी वर्ष हत्या, हत्या का प्रयास तथा अपहरण सरीखे संगीन अपराधों के ग्राफ में भी कमी आई जबकि डकैती के मामलों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। वर्ष 2016 में हत्या के मामलों में 40 फीसदी, हत्या के प्रयास में 30 प्रतिशत तथा अपहरण के मामलों में 29 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई।

रिपोर्ट के अनुसार 2015 के मुकाबले साल 2016 में हत्या के 17 मामले, हत्या के प्रयास के 13, अपहरण के 17 तथा डकैती के दो मामले कम प्रकाश में आये। वर्ष 2015 में हत्या के कुल 41, हत्या के प्रयास के 40, अपहरण के 59 तथा डकैती के 41 मामलों को अंजाम दिया गया था जबकि 2016 में यह संख्या क्रमशः 24, 28, 42 तथा 43 रही। इनके अलावा पुलिस घर / दुकान में चोरी और वाहन चोरी की वारदातों में भी उल्लेखनीय कमी लाने में कामयाब रही। साल 2015 में घर चोरी की 1010 तथा वाहन चोरी की 806 वारदातें हुई थी जबकि वर्ष 2016 में इन मामलों की तादाद क्रमशः 682 तथा 529 दर्ज की गई।

अपराधिक मामलों में आई गिरावट के कारण—



रेवाडी पुलिस अधीक्षक के कार्यालय द्वारा 2 जनवरी 2017 को अधिकारिक तौर पर तैयार की गई तुलनात्मक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के साथ-साथ अन्य मामलों में आई गिरावट के पीछे मुख्य वजह खूंखार अपराधियों की धर-पकड़, शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई, गश्त में बढ़ोतरी तथा गांव-गांव में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना रहा। इस रिपोर्ट के अनुसार पुलिस द्वारा छेड़े गये विशेष अभियान के मुताबिक न केवल महिलाओं के आत्म-विश्वास में बढ़ोतरी हुई, बल्कि अपराधिक किस्म के लोगों में भी डर पैदा हुआ। पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा 5 जनवरी 2017 को जारी की गई प्रैस-विज्ञप्ति के मुताबिक अपराध के लिहाजा से संवेदनशील इलाकों में पुलिस की लगातार गश्त और 12 विभिन्न गिरोह के 52 सदस्यों की गिरफ्तारी भी अपराध के ग्राफ को नीचे लाने में कामयाब रही।

1- गिरोह का पर्दाफाश : रेवाडी पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा 5 जनवरी 2017 को जारी की गई प्रैस विज्ञप्ति के अनुसार साल 2016 में पुलिस और अपराधिक गिरोहों के बीच रस्साकशी सम्पूर्ण वर्ष बदस्तूर जारी रही। जहां अपराधियों ने व्यापारियों से दिन-दहाड़े लूटपाट कर एवं फिरौती मांगकर कानून व्यवस्था को धत्ता साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वहीं पुलिस ने भी एक के बाद एक गैंगस्टर को पकड़ कर आम जनमानस में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा किया। अधिकारिक रिकार्ड के मुताबिक वर्ष 2016 में रेवाडी पुलिस ने डकैती, लूटपाट, चोरी, फिरौती, वाहन चोरी तथा गौ तस्करी में संलिप्त 12 गिरोह का पर्दाफाश करते हुए इनके 52 सदस्यों को काबू किया, जिन्होंने पूछताछ के दौरान 84 वारदातों में संलिप्त होने का खुलासा किया। पुलिस ने इनके पास से कुल 78 लाख 84 हजार की नकदी भी बरामद की।

2- महिलाओं को किया जागरूक : रेवाडी पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा 5 जनवरी 2017 को जारी की गई प्रैस विज्ञप्ति में कहा गया कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधिक मामलों में कमी लाने के लिए जिला पुलिस ने रेवाडी जिले के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में महिलाओं से सम्पर्क साध न केवल उन्हें उनके अधिकारों से अवगत करवाया, बल्कि असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए अपनाये जाने वाले तरीकों का प्रशिक्षण भी दिया। प्रैस-विज्ञप्ति की सार्थकता को जांचने के लिए जब केएलपी कालेज तथा अहीर कालेज में जाकर वहां की छात्राओं से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि छेड़खानी की घटनाओं से बचने के लिए कालेज व छात्राओं के लिए जिला पुलिस द्वारा निःशुल्क सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया गया, वहीं गांवों में जाकर महिलाओं को घरेलु हिंसा से निपटने बारे जरूरी जानकारी दी गई। यही वजह रही कि महिलाओं के मनोबल में बढ़ोतरी हुई और उन्होंने भ्रूण हत्या सरीखी सामाजिक कुरीति के खिलाफ भी आवाज बुलंद की, जिसकी वजह से इस साल रेवाडी के लिंगानुपात में भी सुधार हुआ।

3- शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई : दैनिक जागरण में 6 जनवरी 2017 को प्रकाशित एक समाचार के मुताबिक जिला पुलिस को संभावित अपराधों बारे समय पर मिली गुप्त सूचना तथा विभिन्न मामलों में मिली शिकायतों पर की गई त्वरित कार्रवाई की वजह से पुलिस रेवाडी जिले में अनेक आपराधिक वारदातों को रोकने में कामयाबी मिली। बकौल पुलिस कप्तान संगीता कालिया, उन्होंने रेवाडी जिले के प्रत्येक थाने के प्रबंधक तथा चौकी प्रभारी को यह स्पष्ट आदेश दे रखे थे कि किसी भी शिकायत पर कार्रवाई करने में विलम्ब न किया जाये और तत्काल प्रभाव से हालात का जायजा लिया जाये ताकि उसकी वजह से होने वाली किसी अन्य बड़ी आपराधिक घटना को रोका जा सके। कानून एवं पुलिस से जुड़े विभिन्न लोगों से बातचीत करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि शिकायतों पर समय पर कार्रवाई न होना भी कई बार बड़ी अपराधिक वारदातों को जन्म देता है क्योंकि शिकायत का निपटान न होने से खासतौर पर पीड़ित पक्ष में आक्रोश और अधिक बढ़ता है जो उसे अन्य कदम उठाने पर मजबूर करता है। यदि शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले को पहली ही अवस्था में खत्म कर उसे आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक जिले के सभी थानों के बाहर ऐसे केंद्र भी स्थापित किये गये जहां न केवल शिकायतकर्ता बेहिचक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, बल्कि वहां तैनात पुलिसकर्मी उस पर तुरंत कार्रवाई भी सुनिश्चित करते हैं। खास बात यह है कि ये केंद्र 24 घंटे खुले रहते हैं।

4- पुलिस गश्त में बढ़ोतरी: शोधकार्य के दौरान खुलासा हुआ है कि जिले के मुख्य बाजारों, भीड़-भाड़ वाले इलाकों, स्कूल व महिला कालेजों के आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती तथा संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई गश्त भी अपराधिक



मामलों में कमी लाने में कारगर साबित हुई। पुलिस कप्तान संगीता कालिया द्वारा दैनिक भास्कर में दिनांक 6 जनवरी 2017 प्रकाशित किये गये एक बयान में बताया कि उन्होंने सबसे पहले जिले के उन स्थानों को चिन्हित किया जो अपराध के लिहाजा से संवेदनशील थे। इसके उपरांत वहां पर वांछित संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती करते हुए गश्त को बढ़ाया गया, जिसने अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को हतोत्साहित किया।

रेवाड़ी में साल 2015 व 2016 में दर्ज हुई अपराधिक मामलों का ब्यौरा

अपराध	वर्ष 2015 में दर्ज मामले	वर्ष 2016 में दर्ज मामले
बलात्कार	63	52
घरेलु हिंसा	114	82
यौन उत्पीड़न	69	58
हत्या	41	24
हत्या का प्रयास	40	28
अपहरण	59	42
डकैती	41	43
चोरी	1010	682
वाहन चोरी	806	529
धोखाधड़ी	118	74

स्रोत – रेवाड़ी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा तैयार की गई तुलनात्मक रिपोर्ट।

जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में बलात्कार के 63 मामले दर्ज हुए जबकि वर्ष 2016 में इनकी संख्या घटकर 52 रह गई। इसी तरह साल 2015 में घरेलु हिंसा 114 मामले प्रकाश में आये जबकि अगले साल यानी वर्ष 2016 में इनकी संख्या में खासी गिरावट देखने को मिली। इस साल 82 मामले दर्ज हुए। इसी तरह साल 2015 में यौन उत्पीड़न के 69 तथा साल 2016 में 58 मामले दर्ज किये गये, जो कि पिछले साल से 11 कम थे। दैनिक जागरण में 6 जनवरी 2017 को प्रकाशित एक समाचार तथा शोधकार्य के निष्कर्ष के मुताबिक रेवाड़ी जिले में महिला विरुद्ध अपराधों के मामले में आई उल्लेखनीय गिरावट की वजह महिलाओं को अपराध तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, छात्राओं को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण देना, मुखबीर खास से मिली सूचनाओं पर त्वरित कार्य करते हुए अपराध को होने से रोकना तथा पुलिस थानों तक पहुंची शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई रही। शोध निष्कर्ष के मुताबिक जिले के मुख्य बाजारों, भीड-भाड वाले इलाकों, स्कूल व महिला कालेजों के आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती तथा संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई गश्त भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी लाने में निर्णायक साबित हुई।

लिंगानुपात में सुधार –

जहां तक लिंगानुपात की बात है तो स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनवरी 2015 में जारी की गई अधिकारिक तुलनात्मक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 में रेवाड़ी जिले में प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार उस साल रेवाड़ी में 1000 लड़कों के मुकाबले 796 लड़कियों ने जन्म लिया था। शोध के दौरान संबंधित अधिकारियों से हुई बातचीत से पता चला कि रेवाड़ी जिले में उत्पन्न इस शर्मनाक स्थिति का प्रदेश सरकार के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग ने भी कड़ा संज्ञान लिया और न केवल रेवाड़ी, बल्कि प्रदेश स्तर पर भी लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किये गये। दैनिक जागरण में 14 जनवरी 2017 को छपे एक समाचार के मुताबिक प्रदेश सरकार एवं जिला स्वास्थ्य विभाग के इन्हीं गंभीर प्रयासों की वजह से रेवाड़ी जिले में अगले दो सालों में लिंगानुपात में खासा इजाफा हुआ।

जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनवरी 2017 में जारी की तुलनात्मक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में लिंगानुपात जहां 819 दर्ज किया गया, वही 2016 में बढ़कर यह 859 तक पहुंच गया जबकि साल 2012 में यह संख्या 780 तथा 2013 में 786 दर्ज की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार रेवाड़ी में वर्ष 2016 के जनवरी माह में लिंगानुपात 895, फरवरी में 911, मार्च में 841, अप्रैल में 842, मई में 810, जून में 866, जुलाई में 851, अगस्त में 861, सितम्बर में 768, अक्टूबर में 885, नवम्बर में 921 तथा दिसम्बर माह में लिंगानुपात 870 दर्ज किया गया।



लिंगानुपात में सुधार के कारण –

शोधकार्य में दौरान यह निकलकर सामने आया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिंगजांच के गौरखधंधे में संलिप्त निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर की गई छापामारी, अंतरराज्यीय लिंग जांच रैकेट का पर्दाफाश, महिलाओं को लिंगभेद के खिलाफ जागरूक करने की चलाई गई मुहिम, प्रदेश सरकार के बेटे बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान तथा आशा वर्कर्स व एएनएम को अपना दायित्व कुशलतापूर्वक निर्वहन करने हेतु दिये गये दिशा-निर्देशों ने साल 2016 में रेवाड़ी जिले के लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

1- निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर छापामारी : जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनवरी 2017 में जारी की गई अधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक रेवाड़ी में भ्रूणहत्या की मुख्य वजह इस गौरखधंधे से जुड़े निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर्स एवं अस्पताल रहे हैं क्योंकि गर्भ में लिंगजांच के अनैतिक कार्य को अल्ट्रासाउंड सेंटर्स द्वारा अंजाम दिया जाता है और फिर गैर-कानूनी तरीके से प्राइवेट अस्पतालों में गर्भपात किया जाता है। शोधकार्य के दौरान रेवाड़ी सिविल सर्जन डा बीके राजौर के लिए गये साक्षात्कार के दौरान बताया कि सालभर के दौरान करीब एक दर्जन ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर छापामारी की गई, जिनके लिंगजांच में संलिप्त होने की जानकारी मिली। इन छापामारी से इस गैर-कानूनी कार्य से जुड़े अन्य अल्ट्रासाउंड सेंटर्स में डर का माहौल उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से प्रसव पूर्व लिंगजांच के अवैध कृत्य में कमी आई।

2- प्रसव पूर्व लिंग जांच के रैकेट का पर्दाफाश – जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनवरी 2017 में जारी की गई अधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में जिला स्वास्थ्य विभाग ने अनेक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया, जो दलालों के माध्यमों से प्रसव पूर्व लिंग जांच के अनैतिक कार्यों को अंजाम तक पहुंचा रहे थे। शोधकार्य के लिए साक्षात्कार के दौरान सिविल सर्जन डा बीके राजौरा के मुताबिक अनेक दलालों ने हरियाणा के साथ लगते राजस्थान, दिल्ली व उत्तरप्रदेश में चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर्स से सांठगांठ कर रखी थी और वे ग्राहकों को विभिन्न माध्यमों से वहां ले जाकर उनका प्रसव पूर्व लिंग जांच करवाते थे और लड़की पाये जाने पर उनके गर्भपात की व्यवस्था भी कर देते थे। सिविल सर्जन ने बताया कि इस कार्य के लिए दलालों द्वारा ग्राहकों से 10 से 20 हजार रुपये तक वसूल किये जाते थे। उन्होंने दावा किया कि स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे कई रैकेट का पर्दाफाश करते हुए अनेक दलालों को पकड़ा और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया।

3- आशा वर्कर्स व एएनएम पर बरती सख्ती – जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनवरी 2017 में जारी की गई अधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक चूंकि प्रत्येक गर्भवती महिला का पंजीकरण करने तथा प्रसव तक उस पर निगरानी रखने की जिम्मेवारी आशा वर्कर्स और एएनएम की होती है लिहाजा स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2016 में इन दोनों पर ही सख्ती दिखाते हुए उन्हें अपना दायित्व ईमानदारी व कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए प्रेरित किया। शोधकार्य के निष्कर्ष के मुताबिक जिला स्वास्थ्य विभाग का यह फार्मूला कारगर साबित हुआ, जिसकी वजह से आशा वर्कर्स तथा एएनएम ने अपने कार्यक्षेत्र की सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करवाने तथा उन पर नजर रखने की अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाया और साथ ही उनसे बार-बार मिलकर यह भी सुनिश्चित किया कि वे लिंगजांच सरीखे अनैतिक कार्य से दूर रहते हुए बच्चे को जन्म दें। विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक विभाग ने खासतौर पर उन महिलाओं पर सर्वाधिक नजर रखी गई, जिन महिलाओं का एक बच्चा है और वो भी लड़की क्योंकि तथ्यों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि लिंग जांच आमतौर पर दूसरे बच्चे के समय पर होती है।

4- महिलाओं को किया जागरूक – जिला स्वास्थ्य विभाग की जनवरी 2017 में जारी की गई तुलनात्मक रिपोर्ट के मुताबिक बिगड़ते लिंगानुपात के सामाजिक दुष्प्रभावों से महिलाओं को जागरूक करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा किये गये प्रयासों ने भी लिंगानुपात के सुधार में अहम भूमिका निभाई। शोध कार्य के दौरान लिये गये साक्षात्कार में सिविल सर्जन डा बीके राजौर ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न टीमों ने गांवों में जाकर इस मुद्दे पर महिलाओं की गोष्ठी करवाई और साथ ही इस संदर्भ में उनके विचार जानते हुए लिंग असमानता से अगली पीढ़ी के समक्ष पैदा होने वाली समस्याओं से भी अवगत करवाया, जिससे वे काफी हद तक प्रभावित भी हुई और उन्होंने अपने परिवार की किसी भी महिला का लिंगजांच न करवाने की शपथ भी ली। उन्होंने बताया इसके अलावा बेटे बचाओ- बेटे पढ़ाओ अभियान ने भी रेवाड़ी जिले में लिंगानुपात के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।



रेवाड़ी जिले के पिछले 5 सालों के लिंगानुपात का ब्यौरा

वर्ष 2012	लिंग अनुपात	वर्ष 2013	लिंग अनुपात	वर्ष 2014	लिंग अनुपात	वर्ष 2015	लिंग अनुपात	वर्ष 2016	लिंग अनुपात
जनवरी	708	जनवरी	720	जनवरी	851	जनवरी	715	जनवरी	895
फरवरी	737	फरवरी	836	फरवरी	835	फरवरी	784	फरवरी	911
मार्च	956	मार्च	781	मार्च	831	मार्च	820	मार्च	841
अप्रैल	791	अप्रैल	816	अप्रैल	721	अप्रैल	785	अप्रैल	842
मई	864	मई	776	मई	770	मई	823	मई	810
जून	693	जून	784	जून	749	जून	840	जून	866
जुलाई	692	जुलाई	775	जुलाई	745	जुलाई	735	जुलाई	851
अगस्त	808	अगस्त	833	अगस्त	809	अगस्त	811	अगस्त	861
सितम्बर	744	सितम्बर	813	सितम्बर	791	सितम्बर	924	सितम्बर	768
अक्टूबर	826	अक्टूबर	764	अक्टूबर	856	अक्टूबर	866	अक्टूबर	885
नवम्बर	913	नवम्बर	787	नवम्बर	791	नवम्बर	890	नवम्बर	921
दिसम्बर	764	दिसम्बर	756	दिसम्बर	782	दिसम्बर	865	दिसम्बर	870
औसत	780	औसत	786	औसत	796	औसत	819	औसत	859

स्त्रोत – रेवाड़ी जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनवरी 2017 में तैयार की गई तुलनात्मक रिपोर्ट।

निष्कर्ष :-

शोधकार्य के निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि रेवाड़ी जिले के लिंगानुपात में हुआ सुधार तथा संगीन अपराधिक मामलों खासतौर पर महिला विरुद्ध अपराधों में आई गिरावट एक अच्छे संकेत हैं जो पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। जिले में बेटी बचाओ-बेटी पढाओ की मुहिम का खासा असर देखने को मिला, जिसकी वजह से लिंगानुपात में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।

संदर्भ ग्रंथ-

- 1-रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा 2 जनवरी 2017 को पुलिस महानिरीक्षक को भेजी गई रिपोर्ट
- 2- रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा 5 जनवरी 2017 को जारी की गई प्रैस विज्ञप्ति
- 3- पुलिस की मुहिम रंग लाई, महिला विरुद्ध अपराधों में आई गिरावट- दैनिक जागरण 6 जनवरी 2017
- 4- साल 2016 में महिला विरुद्ध अपराधों में आई उल्लेखनीय कमी- दैनिक भास्कर, 6 जनवरी 2017
- 5- A shame: Rewari has nation's lowest gender ratio—TheTribune on June 5, 2014
- 6- Rewari records lowest gender ratio across state—The Tribune on June 9, 2015
- 7- Police to rope in villag panels to check female foeticide in state—The Tribune, June 22, 2015
- 8- Rewar records dip in crime, improvement in gender ratio—The Tribune on January 4, 2017
- 9- Rewari district records highest-ever sex ratio--- The Tribune on January 31, 2017